<u>श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 26.05.2023 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा (बहु उत्पाद एसईजेड) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

a. श्री सुरेंद्र कुमार मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड, नोएडा।
b. श्री प्रवीण कुमार मित्तल, अपर आयकर आयुक्त, जयपुर।
c. श्री पी.आर. शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
d. श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड, नोएडा।
e. श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।

(i) श्री बुद्धि प्रकाश, विशिष्ट अधिकारी (ii) श्री पंकज शर्मा, एडीसी (iii) श्री संजय झा, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक (रीको) भी बैठक में अनुमोदन समिति की सहायता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया था और बैठक आगे बढ़ सकती थी।

अध्यक्ष ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत किया और फिर कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों/ आवेदकों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

<u>दिनांक 18.04.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का कार्यसूची नंबर 1 अनुसमर्थन:</u>

यह बताया गया कि दिनांक **18.04.2023** को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध अनुमोदन समिति/व्यापार/इकाई के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए, 18.04.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>मौजूदा स्वीकृति पत्र में नई मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मैसर्स जीआईई (GIE) कलर इंपेक्स का कार्यसूची संख्या 2 प्रस्ताव</u>:

2.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 2-10/2019-एसईजेड-द्वितीय (जे) परियोजना/2503 दिनांक में नई मदों के परिवर्धन/संशोधन के लिए मैसर्स जीआईई कलर इम्पेक्स, प्लॉट संख्या जी1-177, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव: 30.12.2019 की बैठक में चर्चा हुई।

2.2 श्री ऋषभ कोठारी, भागीदार और श्री पंकज बदला, सीए इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से **प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी** और विकास आयुक्त के कार्यालय को फ़ाइल पर अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करने के अधीन अधिकार दिया:

a. वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) टैरिफ के अनुसार सही और अद्यतन आईटीसी एचएस कोड और उत्पादों का विवरण दर्शाते हुए संशोधित फॉर्म-एफ3 के साथ आवश्यक दस्तावेज; और

b. "हीरे के साथ चांदी के आभूषण" को शामिल करने के लिए अपने खरीदार से पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ ऑर्डर की प्रतियां",

<u>मैसर्स सीमंधर क्रिएटिव डिजाइन एलएलपी का कार्यसूची नंबर 3 प्रस्ताव नई वस्तुओं के परिवर्धन/ संशोधन और मौजूदा स्वीकृति पत्र में इकाई के नाम में बदलाव के लिए:</u>

3.1 मैसर्स सीमंधर क्रिएटिव डिजाइन एलएलपी, प्लॉट संख्या जी1-178, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव नए उत्पादों के अतिरिक्त/संशोधन के लिए और **मेसर्स सीमंधर क्रिएटिव डिजाइन एलएलपी से मेसर्स कीन जेड में इंडिया एलएलपी** में इकाई का नाम बदलने के लिए बैठक में मौजूदा स्वीकृति पत्र नंबर 2-9/2019-एसईजेड-II (जे) परियोजना/2502 दिनांक: 30.12.2019 पर चर्चा की गई। **इकाई का स्वीकृति पत्र 23.06.2025 तक वैध है।**

3.2 श्री ऋषभ कोठारी, भागीदार और श्री पंकज बदला, सीए इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने सूचित किया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

3.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से **प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी** और विकास आयुक्त के कार्यालय को अधिकृत संचालन के अनुमोदन के लिए अधिकृत किया और फाइल पर नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के अधीन रखा:

a. वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) टैरिफ के अनुसार सही और अद्यतन आईटीसी एचएस कोड और उत्पादों का विवरण दर्शाते हुए संशोधित फॉर्म-एफ3 के साथ आवश्यक दस्तावेज; और

b. "हीरे से जड़ी चांदी के आभूषण" को शामिल करने के लिए अपने खरीदार से पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ आदेशों की प्रतियां",

<u>मौजूदा स्वीकृति पत्र में नई मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मैसर्स नमो एक्सपोर्ट्स का कार्यसूची संख्या 4 प्रस्ताव</u>

4.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 2-3/2019-एसईजेड-II (जे) परियोजना/273 में नई मदों को जोड़ने/ संशोधित करने के लिए मेसर्स नमो एक्सपोर्ट्स, प्लॉट संख्या जी1-50, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, बैठक में जयपुर के प्रस्ताव दिनांक 07.06.2019 पर चर्चा की गई। **इकाई का स्वीकृति पत्र 01.06.2025 तक वैध है।**

4.2 श्री कमल किशोर शर्मा, प्रबंधक और श्री मुकेश गोयल, सीए इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने सूचित किया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

4.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण की मंजूरी के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय को अधिकार दिया और निम्नलिखित जमा करने के अधीन फाइल पर अधिकृत संचालन किया:

a. वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) टैरिफ के अनुसार सही और अद्यतन आईटीसी एचएस कोड और उत्पादों का विवरण दर्शाते हुए संशोधित फॉर्म-एफ3 के साथ आवश्यक दस्तावेज; और

b. "हीरे से जड़ी चांदी के आभूषण" को शामिल करने के लिए अपने खरीदार से पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ आदेशों की प्रतियां",

<u>अधिकृत मदों की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीकरण के लिए मैसर्स आरजीएन ग्लोबल एंटरप्राइजेज का कार्यसूची संख्या 5 प्रस्ताव:</u>

5.1 स्वीकृति पत्र नंबर 2-79-एसईजेड-II (जे) परियोजना /11 दिनांक: 05.01.2006 के नवीकरण के लिए मैसर्स आरजीएन ग्लोबल एंटरप्राइजेज, प्लॉट नंबर एफ-95, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव अधिकृत के व्यापक सरबंदी के साथ बैठक में मदों पर चर्चा की गई।

5.2 श्री राजीव निघोजकर, भागीदार इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करेगी।

5.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से **प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी** और स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण की मंजूरी के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय को अधिकार दिया और निम्नलिखित जमा करने के अधीन फाइल पर अधिकृत संचालन किया:

a. वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) टैरिफ के अनुसार सही और अद्यतन आईटीसी एचएस कोड और उत्पादों का विवरण दर्शाते हुए संशोधित फॉर्म-एफ3 के साथ आवश्यक दस्तावेज;

b. "हीरे से जड़ी चांदी के आभूषण" को शामिल करने के लिए अपने खरीदार से पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ आदेशों की प्रतियां"; और

c. रीको की बकाया राशि 1.64 लाख रुपये की समाशोधन।

<u>अधिकृत मदों की व्यापक सरबंदी और निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न के परिवर्तन के साथ स्वीकृति पत्र के नवीकरण के लिए मैसर्स आइडियल फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड का कार्यसूची संख्या 6 प्रस्ताव:</u>

6.1 मैसर्स आइडियल फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड, प्लॉट नंबर एच-169 और एच-170, एसईजेड-II, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव अधिकृत मदों की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीकरण के लिए और मौजूदा स्वीकृति पत्र-2-152-सेज-II (जे) परियोजना/320 में निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए दिनांक 25.02.2011 की बैठक में चर्चा की गई।

6.2 श्री महेन्द्र कुमार बाफना, निदेशक एवं श्री सन्नी पारीक, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने सूचित किया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करेगी।

6.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से **20.06.2027 तक** पांच साल के तीसरे ब्लॉक की शेष शेष अवधि के लिए स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के प्रस्ताव को **मंजूरी दी**। इसके अलावा, समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार निदेशकों के परिवर्तन को भी **मंजूरी दी**: -

क्रमांक	**18.07.2021 को निदेशक**	**20.10.2021 को संशोधित निदेशक**	**31.03.2023 को निदेशक (मौजूदा निदेशक)**
1.	श्री संदेश कुमार जैन	श्री केतन भवरलाल कोठारी	श्री महेंद्र कुमार नेमीचंद बाफना
2.	श्री दीपक कुमार शर्मा	श्री राजेश नवलखा	श्री विवेक पृथ्वीराज कोठारी
3.	श्री राजेश नवलखा	श्री महेंद्र कुमार नेमीचंद बाफना	श्री केतन भवरलाल कोठारी
4.	श्री केतन भवरलाल कोठारी		

6.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से **अधिकृत संचालन में संशोधन और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी**। इसने विकास आयुक्त के कार्यालय को फ़ाइल पर प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया:

a. वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) टैरिफ के अनुसार सही और अद्यतन आईटीसी एचएस कोड और उत्पादों का विवरण दर्शाते हुए संशोधित फॉर्म-एफ3 के साथ आवश्यक दस्तावेज;

b. "हीरे से जड़ी चांदी के आभूषण" को शामिल करने के लिए अपने खरीदार से पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ ऑर्डर की प्रतियां; और

c. एक ही नाम के तीन शेयरधारकों पर स्पष्टीकरण।

<u>अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मैसर्स ज्वैलरी फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का कार्यसूची संख्या 7 प्रस्ताव:</u>

7.1 स्वीकृति पत्र संख्या 2-146-एसईजेड-द्वितीय (जे) परियोजना/906 दिनांक: 08.01.2019 के नवीनीकरण के लिए मेसर्स ज्वेलरी फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या एच-188 और एच-189, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, बैठक में जयपुर का प्रस्ताव को अधिकृत मदों की व्यापकता के साथ 2007 पर चर्चा की गई।

7.2 श्री पंकज शर्मा, निदेशक, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करेगी।

7.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति **से प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी** और स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण की मंजूरी के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय को अधिकार दिया और निम्नलिखित जमा करने के अधीन फाइल पर अधिकृत संचालन किया:

a. वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) टैरिफ के अनुसार सही और अद्यतन आईटीसी एचएस कोड और उत्पादों का विवरण दर्शाते हुए संशोधित फॉर्म-एफ3 के साथ आवश्यक दस्तावेज; और

b. "हीरे से जड़ी चांदी के आभूषण" को शामिल करने के लिए अपने खरीदार से पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ आदेशों की प्रतियां',

अधिकृत मदों की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीकरण के लिए मैसर्स सुपर जेम्स का कार्यसूची संख्या 8 प्रस्ताव:

8.1 स्वीकृति पत्र नंबर 2-27-एसईजेड-II (जे) परियोजना/1792 दिनांक 17.07.2004 के नवीनीकरण के लिए मेसर्स सुपर जेम्स, प्लॉट संख्या एच-119, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, बैठक में जयपुर के प्रस्ताव पर अधिकृत मदों चर्चा की गई।

8.2 श्री रमेश प्रजापत, भागीदार इकाई की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करेगी।

8.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण की मंजूरी के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय को अधिकार दिया और निम्नलिखित जमा करने के अधीन फाइल पर अधिकृत संचालन किया:

a. वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) टैरिफ के अनुसार सही और अद्यतन आईटीसी एचएस कोड और उत्पादों का विवरण दर्शाते हुए संशोधित फॉर्म-एफ3 के साथ आवश्यक दस्तावेज; और

b. "हीरे से जड़ी चांदी के आभूषण" को शामिल करने के लिए अपने खरीदार से पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ आदेशों की प्रतियां",

8.4 इकाई को बांड सह कानूनी उपक्रम (BLUT) जमा करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसे उसने 25.10.2021 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति के मद्देनजर आज तक जमा नहीं किया है।

अधिकृत मदों की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीकरण के लिए मैसर्स रावत क्रिएशन्स ज्वेल्स एलएलपी का कार्यसूची संख्या 9 प्रस्ताव:

9.1 स्वीकृति पत्र नंबर 2-27-एसईजेड-II (जे) परियोजना/1792 दिनांक 17.07.2004 के नवीनीकरण के लिए मैसर्स रावत क्रिएशन, प्लॉट नंबर जी-148, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, जयपुर के प्रस्ताव पर अधिकृत मदों की व्यापक सरबंदी के साथ बैठक में चर्चा की गई।

9.2 अनुमोदन समिति के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ।

9.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने मौजूदा स्वीकृति पत्र में मदों के व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव को **स्थगित** कर दिया।

साझेदारी के लिए स्वामित्व में बदलाव के लिए मैसर्स जेम्स ट्रेडिंग सेंटर का कार्यसूची नंबर 10 प्रस्ताव और मेसर्स जेम्स ट्रेडिंग सेंटर से मैसर्स गुप्ता ज्वेल्स कॉर्पोरेशन (एसईजेड इकाई) के लिए फर्म का नाम बदलना:

10.1 मैसर्स जेम्स ट्रेडिंग सेंटर, प्लॉट संख्या एफ-90, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, जयपुर के संविधान को साझेदारी के लिए स्वामित्व में बदलने और **मेसर्स जेम्स ट्रेडिंग सेंटर से मेसर्स गुप्ता ज्वेल्स कॉर्पोरेशन (एसईजेड इकाई)** को फर्म का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बैठक में पर चर्चा हुई।

10.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्तावों को **स्थगित** कर दिया और विकास आयुक्त के कार्यालय को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के मद्देनजर फाइल पर प्रस्तावों की जांच करने का अधिकार दिया।

कार्यसूची संख्या 11 मैसर्स एसेसरी प्लस का स्वीकृति पत्र में मदों को जोड़ने/संशोधित करने का प्रस्ताव जिसमें साझेदारों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और फर्म का नाम मैसर्स एसेसरी प्लस से मेसर्स प्योर कॉन्सेप्ट्स में परिवर्तन:

11.1 मैसर्स एक्सेसरी प्लस, प्लॉट संख्या एच-114, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, जयपुर ने मौजूदा स्वीकृति पत्र_संख्या 2-180-एसईजेड-द्वितीय (जे) परियोजना/666 दिनांक 11.07.2008 पत्र द्वारा दिनांक 01.05.2023 में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने का अनुरोध किया है।

11.2 श्री प्रतीक जैन, भागीदार और श्री वैभव जैन, अधिकृत प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने सूचित किया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

11.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 2-180-एसईजेड-II (जे) परियोजना/666 दिनांक 11.07.2008 में निम्नलिखित मदों के निर्माण को मंजूरी दी:

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131911	सादे और बिना जड़े सोने के आभूषण	किग्रा	30.00
2.	71131912	मोतियों से जड़े सोने के आभूषण	किग्रा	10.00
3.	71131913	एचएस 7102 के हीरे जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	30.00
4.	71131915	अन्य कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के साथ जड़े हुए सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
5.	71131110	चांदी के महीन काम के साथ चांदी के आभूषण	किग्रा	200.00
6.	71131141	सादे चांदी के आभूषण बिना जड़ित	किग्रा	1000.00
7.	71131990	अन्य कीमती धातु के आभूषण	किग्रा	500.00
8.	71171990	आधार धातु के नकली आभूषण (चाहे कीमती धातु से मढ़वाया गया हो या नहीं) सादे और बिना जड़ित	किग्रा	2500.00
9.	71179090	हीरे के अलावा कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों के साथ आधार धातु के नकली आभूषण (चाहे कीमती धातु से मढ़वाया गया हो या नहीं)	किग्रा	2500.00
10.	71131145	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए अन्य कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित चांदी के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर अन्य कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	1500.00
11.	71131911	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए सोने के सादे आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर सोने के सादे आभूषण	किग्रा	250.00
12.	71131914	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए हीरे जड़ित सोने के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर हीरे से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
13.	71131915	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए अन्य कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर अन्य कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	2000.00
14.	71011020	प्राकृतिक मोती - काम किया	किग्रा	100.00
15.	71023910	हीरे - कट या अन्यथा काम किया लेकिन चढ़ाया हुआ या सेट नहीं	कैरट	30000.00
16.	71039110	माणिक - काम किया	कैरट	100000.00
17.	71039120	नीलम - काम किया	कैरट	100000.00

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
18.	71039130	पन्ना - काम किया	कैरट	100000.00
19.	71039911	पीला सुनहरा गुलाबी लाल हरा फीरोज़ा - काम किया	कैरट	100000.00
20.	71039912	चन्द्रवैदूर्य लहसुनिया सहित चन्द्रवैदूर्य - काम किया	कैरट	100000.00
21.	71039913	अलेक्जेंड्राइट सहित अलेक्जेंड्राइट लहसुनिया - काम किया	कैरट	10000.00
22.	71039919	फीरोज़ा और चन्द्रवैदूर्य के अन्य पत्थरों पर - काम किया	कैरट	200000.00
23.	71039921	चन्द्रकान्त - काम किया	कैरट	200000.00
24.	71039929	कोरन्डम और स्फतीय खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर-काम किया	कैरट	10000.00
25.	71039931	तामड़ा - काम किया	कैरट	500000.00
26.	71039932	लापीस-लाजुली - काम किया	कैरट	200000.00
27.	71039939	तामड़ा और लाज़ुराइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर-काम किया	कैरट	200000.00
28.	71039941	प्रेहनाइट - काम किया	कैरट	200000.00
29.	71039942	सुलेमानी - काम किया	कैरट	500000.00
30.	71039943	रूद्राक्ष - काम किया	कैरट	200000.00
31.	71039944	कैल्सेडनी - काम किया	कैरट	800000.00
32.	71039949	प्रेहनाइट और बिल्लौर खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर-काम किया	कैरट	200000.00
33.	71039951	तूरमली - काम किया	कैरट	500000.00
34.	71039952	तंजानाइट - काम किया	कैरट	500000.00
35.	71039959	तूरमली और ज़ोसाइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	कैरट	50000.00
36.	71039990	अन्य पत्थर पुखराज, सिट्रीन, नीलम - काम किया	कैरट	100000.00
37.	71049100	प्रयोगशाला में विकसित हीरा - काम किया	कैरट	50000.00
38.	71049900	अन्य कृत्रिम पत्थर और मोती - काम किया	किग्रा	100.00
39.	71131145	अन्य कीमती और अर्ध-कीमती रत्नों से जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	1000.00
40.	71131913	एचएस 7102 के हीरे जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	500.00
41.	71012200	संवर्धित मोती - काम किया	किग्रा	100.00
42.	71171990	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए आधार धातु के नकली सादे और बिना जड़ित आभूषणों से मरम्मत,	किग्रा	1000.00

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
		पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर आधार धातु के नकली सादे आभूषण		
43.	71179090	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए आधार धातु के नकली सादे और जड़ित रत्न के साथ आभूषणों (हीरे के अलावा) से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर आधार धातु के नकली सादे और जड़ित रत्न के साथ आभूषण	किग्रा	1000.00
44.	71131914	एचएस 7104 के हीरे जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	500.00

11.4 इसके अलावा, वस्तु " हीरे के साथ चांदी के आभूषण" के अनुमोदन के लिए, इकाई को खरीदार के पूरे पते और संपर्क विवरण के साथ आदेश देने की आवश्यकता है, जिसकी फाइल पर जांच की जाएगी।

11.5 अनुमोदन समिति ने साझेदारों और शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन और फर्म के नाम में परिवर्तन के प्रस्तावों को स्थगित कर दिया और विकास आयुक्त के कार्यालय को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 को देखते हुए फाइल पर प्रस्तावों की जांच करने का अधिकार दिया। इकाई को इस मुद्दे पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देने का भी निर्देश दिया जाता है ताकि मामले को रीको (विकासक) के साथ उठाया जा सके।

कार्यसूची संख्या 12: मैसर्स सिम्फनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, एसईजेड-II, सीतापुरा, जयपुर के मामले की निगरानी/समीक्षा

12.1 मैसर्स सिम्फनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, एसईजेड-II, सीतापुरा, जयपुर के प्रस्ताव को पिछले छह महीनों से सीमा शुल्क सत्यापन में असहयोग के कारण निगरानी/समीक्षा के उद्देश्य से लिया गया था।

12.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि:

- भंडार का सीमा शुल्क सत्यापन पिछले 6 महीनों से नहीं किया जा सका था या इकाई के मालिक श्री नवरतन जौहरी द्वारा दिखाई गई अक्षमता के कारण।
- सीमा शुल्क सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 24.01.2022 के अनुसार मैसर्स तारकेश आर्ट ज्वैलर्स के मामले में, मैसर्स सिम्फनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स तारकेश आर्ट ज्वैलर्स के प्लॉट इस तरह से संलग्न हैं कि दोनों इकाइयों के परिसर अलग नहीं हैं। मैसर्स सिम्फनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड की इमारत को मैसर्स तारकेश आर्ट ज्वैलर्स तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, मैसर्स सिम्फनी ज्वेल्स की चारदीवारी मेसर्स तारकेश आर्ट ज्वैलर्स के परिसर को शामिल करती है और इकाई के लिए कोई अलग प्रवेश द्वार नहीं है।
- इकाई ने 2020 में यूनिट का नाम मैसर्स सिम्फनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मेसर्स महाकाल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। हालांकि, इसने 11.11.2022 (यानी 2 साल बाद) को नाम बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- एनएसडीएल (NSDL) आँकड़े और इकाई/वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) आँकड़े द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े में भिन्नता है। इसके अलावा, इकाई ने एनएसडीएल (NSDL) और वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) आँकड़े में अंतर के लिए कोई प्रशंसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किया है।
- इकाई ने आज तक 831.56 लाख रुपये की बकाया बीआरसी की स्थिति प्रस्तुत नहीं की है। यह बताना उचित है कि इकाई ने यूडीएस12440 का केवल एक बैंक वसूली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और शेष के लिए पत्र दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से कहा है कि लंबित बीआरसी की वसूली पाइपलाइन में है।

12.3 अनुमोदन समिति के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ।

12.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एनएसडीएल (NSDL) आँकड़े और वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) आँकड़े के अनुसार इकाई के निवल विदेशी मुद्रा (NFE) की जांच की जाएगी। समिति ने इकाई को कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी करने के लिए फ़ाइल पर उपरोक्त मुद्दों की जांच करने के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय को भी अधिकार दिया।

<u>कार्यसूची संख्या 13: 01.05.2023 को सीमा शुल्क टैरिफ में बदलाव के कारण अध्याय -71 के संदर्भ में एचएसएन कोड में बदलाव:</u>

13.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड **सीबीआईसी (CBIC)** ने राष्ट्रीय एचएस कोड और अध्याय 71 के विवरण के संबंध में 01.05.2023 से कुछ संशोधन किए हैं।

13.2 यह भी बताया गया कि व्यापार सुविधा उपाय के रूप में, सक्षम प्राधिकारी यानी विकास आयुक्त, एनएसईजेड, नोएडा ने पहले ही जेएसईजेड, सीतापुरा, जयपुर (एसईजेड-I और एसईजेड-II दोनों) में इकाइयों को कुछ समय **(एक माह)** उनके पुराने एचएस कोड के अनुसार उनके संबंधित स्वीकृति पत्र (LOA) में उल्लेख के लिए निर्यात/आयात दाखिल करने की अनुमति दे दी है।

13.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जेएसईजेड में सभी इकाइयों को नए एचएसएन कोड (01.05.2023 से लागू सीमा शुल्क टैरिफ के अनुसार) के अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त के कार्यालय को फाइल पर इकाइयों द्वारा एचएसएन कोड के परिवर्तन के लिए इस तरह के अनुरोध को लेने और प्रत्येक आगामी इकाई अनुमोदन समिति में विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा अनुमोदन के समेकित आँकड़े से अवगत कराने का अधिकार दिया।

13.4 समिति ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि पत्र भेजे जाने के बावजूद इस बैठक के कार्यसूची में किसी भी एचएस कोड को 1.5.2023 के संस्करण में अद्यतन नहीं किया गया था। इसके अलावा, एचएस कोड में संशोधन या परिवर्धन का कोई प्रस्ताव इकाई अनुमोदन समिति के बाद के कार्यसूची में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि एचएस कोड को नवीनतम संस्करण के साथ अद्यतन नहीं किया गया हो।

<u>कार्यसूची नंबर 14: मैसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड का निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव:</u>

14.1 बैठक में मैसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड, प्लॉट नंबर ई-1 और ई-2, एसईजेड-II, सीतापुरा, जयपुर के निदेशक और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

14.2 श्री सुधांशु मिश्रा, प्राधिकृत प्रतिनिधि इकाई की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों का जवाब प्रस्तुत करेगी।

14.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में स्वीकृति समिति ने <u>सर्वसम्मति से विकास आयुक्त कार्यालय को फ़ाइल पर प्रस्तावों की जांच करने का अधिकार दिया</u>। इकाई को पुराने शेयरधारिता स्वरूप और नए शेयरधारिता स्वरूप को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

<u>कार्यसूची संख्या 15: मदों की व्यापक सरबंदी और निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के साथ स्वीकृति पत्र के नवीकरण के लिए मैसर्स अमीएबल ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव:</u>

15.1 मैसर्स अमीएबल ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या जी1-143-144, एसईजेड-द्वितीय, सीतापुरा, जयपुर का प्रस्ताव अधिकृत मदों के व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीकरण के लिए और मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 2-118-सेजआईआई (जे) परियोजना/377 में निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव पर दिनांक 12.05.2006 की बैठक में चर्चा की गई।

15.2 श्री कमल गुप्ता, प्रबंधक, इकाई की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करेगी।

15.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से **प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी** और स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण की मंजूरी के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय को अधिकार दिया और निम्नलिखित जमा करने के अधीन फाइल पर अधिकृत संचालन किया:

a. वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) टैरिफ के अनुसार सही और अद्यतन आईटीसी एचएस कोड और उत्पादों का विवरण दर्शाते हुए संशोधित फॉर्म-एफ3 के साथ आवश्यक दस्तावेज;

b. विशिष्ट विवरण और सेंट्स में हीरे के विवरण के साथ " हीरे के साथ चांदी के आभूषण" को शामिल करने के लिए उनके खरीदार से पूरे पते और संपर्क विवरण के साथ आदेशों की प्रतियां; और

c. रीको के 1.54 लाख रुपये के बकाये का भुगतान

15.4 इसके अलावा, समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार नीचे उल्लिखित निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव को भी **मंजूरी दी**: -

मौजूदा निदेशक		**संशोधित निदेशक**	
क्रमांक	**निदेशक का नाम**	**क्रमांक**	**निदेशक का नाम**
1.	घनश्याम दास खंडेलवाल	1.	घनश्याम दास खंडेलवाल
2.	श्री जगदीश व्यास (समाप्ति की तिथि -21.10.2019)	2.	सत्यनारायण रावत (नियुक्ति की तिथि-03.08.2019)

निदेशक / शुरुआत में शेयरधारिता		
निदेशक का नाम	शेयर	कंपनी में पदवी
श्री घनश्याम दास खंडेलवाल	105000	पहले निदेशक और शेयरधारिता
श्री जगदीश व्यास	105000	निदेशक और शेयरधारिता
श्री सुनील व्यास	251294	केवल शेयरधारक
कुल	**461294**	

31.03.2020 को शेयरधारिता/ निदेशक		
निदेशक का नाम	शेयर	कंपनी में पदवी
श्री घनश्याम दास खंडेलवाल	105,000	पहले निदेशक और शेयरधारिता
श्री जगदीश व्यास	105,000	केवल शेयरधारक
श्री सुनील व्यास	251,294	केवल शेयरधारक
श्रीमती मीरा रावत	28,328	केवल शेयरधारक
श्री सत्य नारायण रावत	0	केवल निदेशक
कुल	**489622**	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त